

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
श्री गंगाराम प्र पंडा पट्टा परेवडी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 209 / 2021 GCMS No. 2021/928

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्लिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	--------------------------------------	---

25/11/2021

वादी श्री श्री गंगाराम पुत्र पंडा पट्टा
जाति पट्टा निवासी परेवडी द्वारा आज "प्रशासन
गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परेवडी
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2073-2074
ग्राम परेवडी पटवार मण्डल परेवडी के खाता
नम्बर 88 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि
श्री गंगाराम प्र पंडा पट्टा दिव्या Y3 पट्टा पट्टा
दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम श्री गंगाराम प्र पंडा पट्टा दिव्या Y3 पट्टा
पट्टा पट्टा है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर 8802 2524 9698
मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज.....
..... की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
हो।

884-896



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

